महत्वपूर्ण/बजट 2026-2027

संख्या : 16/2025/बी-1-1406/दस-2025-12(2)/2026

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनाँक : 13 नवम्बर, 2025**

विषय : वित्तीय वर्ष 2026-2027 के विभागीय बजट अनुमानों को तैयार किया जाना ।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2026-2027 के विभागीय बजट अनुमानों को तैयार किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या 13/2025/बी-1-1058/दस-2025-12(2)/2026, दिनाँक 30 सितम्बर, 2025 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि -

(1) वित्तीय वर्ष 2026-2027 के बजट अनुमानों को तैयार करते समय विभाग यथासम्भव एकमुश्त प्रावधान के बजाय योजनाओं को चिन्हित करते हुये योजनाओं हेतु अलग-अलग बजट प्रस्ताव प्रेषित करें, जिससे कि बजट में एकमुश्त प्रावधान कम से कम हो ।

(2) प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर लाये जाने के दृष्टिगत विभिन्न विभागों द्वारा विगत वर्षों में जिन योजनाओं के अन्तर्गत बजट व्यवस्था करायी गयी है, उन योजनाओं को और प्रभावी बनाने के लिये उनकी समीक्षा कर ली जाय तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2026-2027 में तद्नुसार बजट व्यवस्था प्रस्तावित की जाय ।

(3) प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर लाये जाने के दृष्टिगत आगामी वित्तीय वर्ष 2026-2027 के बजट में विभिन्न विभागों द्वारा यदि नई योजनायें लायी जानी हों तो उनके लिये भी पर्याप्त बजट व्यवस्था प्रस्तावित की जाय ।

(4) राज्य में बुनियादी ढाँचे के विकास एवं सार्वजनिक सेवाओं के सुलभ संचालन तथा गुणवत्ता में सुधार हेतु सार्वजनिक-निजी भागेदारी (PPP) एक प्रभावी माध्यम है । इस मॉडल के अन्तर्गत सरकार के सीमित संसाधनों के दृष्टिगत निजी क्षेत्र के निवेश, विशेषज्ञता एवं प्रबन्धन दक्षता का लाभ उठाकर आवश्यक परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा सकता है ।

अतः आगामी वित्तीय वर्ष 2026-2027 के बजट में विभागों में PPP मॉडल से सम्बन्धित व्यवहार्य नई परियोजनाओं (यदि कोई हों) अथवा प्रचलित PPP परियोजनाओं हेतु आवश्यक बजट व्यवस्था कराया जाना सुनिश्चित किया जाय ।

उपरोक्त दिशा-निर्देशों का संज्ञान लेते हुये आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

भवदीय

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

संख्या : 16/2025/बी-1-1406(1)/दस-2025-12(2)/2026, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1 **महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।**
2 **प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।**
3 **प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।**
4 **प्रमुख सचिव, विधान परिषद / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।**
5 **सचिव, नियोजन विभाग (राज्य योजना आयोग) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन ।**
6 **प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।**
7 **निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।**
8 **निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।**
9 **समस्त वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।**
10 **वित्त विभाग के समस्त व्यय-नियंत्रण अनुभाग तथा उनसे सम्बद्ध अधिकारी ।**
11 **सचिवालय के समस्त अनुभागों को इस अनुरोध के साथ कि वे कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि प्राक्कलन अधिकारियों द्वारा बजट अनुमान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज कार्यालय के बजट अनुभाग को भी ससमय भेजे जायें । बजट अनुमान भेजते समय वे कृपया इस बात को भी सुनिश्चित कर लें कि इस शासनादेश में निहित समस्त अनुदेशों का पालन हो गया है ।**
12 **गार्ड फाईल ।**

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव, वित्त ।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।